प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्भल।

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांकः सीएमओ/एन.एच.एम./सहयो.पर्य./वाहन/2017–18/ दिनॉकः 24.11.2017

विषयः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./एम.एण्ड ई./2017–18/01 /4664–75, दिनॉक 11.08.2017 के अनुपालन में आपके द्वारा मांगी गयी सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार की आपकी सेवा में सादर प्रेषित हैं–

Supportive Supervision Vehicle Hiring- Block wise information

S.No.	Name of Division	Name of District	Block Name	Vehicle No.	Date of Hiring	Agreement copy attached
01	Moradabad	Sambhal	Manauta/Asmoli	UP14ET6384	20-05-2016	Yes
02			Sambhal	UP13T9025		
03			Narauli/Baniyakhera	UP24H8175		
04			Pawansa	UP14ET1429		
05			Bahjoi	UP13T6842		
06			Gunnaur	UP14FT1474		
07			Junawai	UP14FT2114		
08			Rajpura	UP14DT5602		

Supportive Supervision Vehicle Hiring- District wise information

S.No.	Name of Division	Name of District	District Level	Vehicle No.1	Date of Hiring	Agreement copy attached
01	Moradabad	Sambhal	District Level	UP38T1596	20-05-2016	Yes
			District Level	UP14ET2618		

महोदय ये भी अवगत कराना है कि नवीन ई–टेण्डर प्रक्रिया में है, प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नवीन सूचना पुनः प्रेषित की जायेगी।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्भल।

<u>पृ.सं.: सीएमओ/एन.एच.एम./सहयो.पर्य./वाहन/2017–18/ तद्दिनॉक।</u>

<u>प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित</u>–

1. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0 क0 सेवायें, मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
2. जिलाधिकारी, जनपद सम्भल।
3. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक, सिफसा/एन.एच.एम., मुरादाबाद मण्डल मुरादाबाद।
4. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जनपद सम्भल।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद सम्भल।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CV 647410

अनुबन्ध पत्र

प्रथम पक्ष– मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद सम्भल।
द्वितीय पक्ष–मैसर्स वेद प्रकाश कान्ट्रेक्टर, ग्राम व पोस्ट पाठकपुर, जनपद सम्भल।

उपरोक्त दोनो पक्षों द्वारा राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत वाहन व्यवस्था हेतु सर्वसहमति से नियमानुसार अनुबन्ध किया जाता है।

1. यह कि प्रथम पक्ष कार्यालय अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक संख्याः सीएमओ/सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/वाहन/2016–17/13594, दिनाकं 20.05.2016 एवं जिलाधिकारी महोदय, जनपद सम्भल के अनुमोदन दिनांक 29.04.2016 के सन्दर्भ में जनपद सम्भल के 8 सामु0 स्वा0 केन्द्रों में कुल 08 (ब्लॉक स्तर) एवं 02 जनपद स्तर पर वाहन सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा प्रतिदिन 8 घटें नियमित रुप से चिकित्सालय में वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराया जायेगा।
2. यह कि द्वितीय पक्ष को इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तो का पालन करना होगा, तथा वाहनों को 24 घण्टें चालू हालात में एवं वाहन की साफ सफाई व आवश्यक रख रखाब द्वितीय पक्षकार (सेवा प्रदाता) द्वारा किया जायेगा। तथा नियमित जॉच हेतु वाहन वार्कशॉप भेजने की स्थिति में द्वितीय पक्षकार को दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। द्वितीय पक्षकार द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुरूप सेवा प्रदान नही करने की स्थिति में प्रथम पक्षकार को रू0 300 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित करने का अधिकार होगा।
3. वाहन चालक की व्यवस्था स्वंय द्वितीय पक्षकार (सेवा प्रदाता) द्वारा की जायेगी, एवं वाहन चालक के पास वैध ड्राईविंग लाईसेन्स होना अनिवार्य हैं। इसका जिम्मेदार द्वितीय पक्षकार होगा, प्रथम पक्ष पर इसका कोई विधिक दायित्व नही होगा, द्वितीय पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि वाहन चालक प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त नियन्त्रणकर्ता अधिकारी के निर्देशो का पालन करें, द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि वाहन चालक कभी भी नशे की हालत में वाहन का प्रयोग नही करेगा। ऐसा पाये जाने पर सुरक्षा निधि की राशि जब्त कर अनुबन्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी02)
जनपद – सम्भल

4. यह कि द्वितीय पक्ष यह भी सुनिश्चित करे कि सामु0स्वा0 केन्द्रों पर उपलब्ध कराये गये वाहन, परिवहन विभाग में पंजीकृत एवं वाहन का टैक्सी परमिट होना अनिवार्य हैं। **उच्चाधिकारियों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान वाहन टैक्सी परमिट एवं निविदा शर्तो के अनुरूप नही पाया जाता हैं, तो प्रथम पक्ष द्वारा निविदा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए द्वितीय पक्षकार स्वंय उत्तरदायी होगा।**
5. द्वितीय पक्ष द्वारा सत्यापित प्रथम पक्ष को भुगतान हेतु देयक निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण विवरण एवं लोग बुक के साथ आगामी माह की 05 तारीक तक प्रस्तुत करने पर प्रथम पक्ष द्वारा बजट उपलब्धता की स्थिति में 10 दिन के अन्दर अथवा 15 तारीक तक भुगतान करना सुनिश्चित किया जायेगा। वाहन की छोटी–मोटी टुट–फूट को तत्काल सुधारने की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को करनी होगी। बडी टूट–फूट भी 24 घण्टे के अन्दर सुधार कराने या वैकल्पिक वाहन उपलब्ध कराने का दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा।
6. सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन से किसी प्रकार का नुकसान होने की स्थिति में सम्पूर्ण वैधानिक दायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। प्रथम पक्ष इसके लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नही होगा।
7. द्वितीय पक्ष द्वारा प्रदत्त सेवा सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह द्वितीय पक्ष से इस सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता हैं एवं स्पष्टीकरण का जबाव सन्तोषजनक नही पाये जाने की स्थिति में द्वितीय पक्ष को 15 दिन की सूचना देकर अनुबन्ध समाप्त करने का अधिकार होगा। तथा धरोहर राशि भी जब्त कर ली जायेगा।
8. द्वितीय पक्षकार को उनके द्वारा प्रस्तुत स्वीकृत निविदा दिनॉक **20.05.2016 के अनुसार** रू0 **24,444/– (चौबीस हजार चार सौ चौबालीस मात्र) प्रतिमाह** की दर से (सभी करों सहित) भुगतान किया जायेगा।
9. द्वितीय पक्ष को नियमानुसार व्यापारकर/वाणिज्यकर/वैट/आदि करों का भुगतान करना होगा तथा कर जमा न करने पर द्वितीय पक्ष स्वंय उत्तरदायी होगा।
10. **इस अनुबन्ध की अबधि दिनॉक 20.05.2016 से दिनॉक 31.03.2017 तक या अगली निविदा होने तक मान्य होगी। इसके उपरान्त यह निविदा स्वतः समाप्त हो जायेगी।**
11. इसी मध्य भारत सरकार स्तर से राज्य कार्य योजना पर अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात यदि किसी प्रकार के भौतिक एवं वित्तीय नियमों में परिवर्तन गाईडलाईन के अनुसार वांछनीय होता हैं तो द्वितीय पक्षकार को संशोधित दिशा निर्देश दिये जायेगें।

अनुबन्ध का दिनांकः– 30-5-16

द्वितीय पक्ष	प्रथम पक्ष
मैसर्स वेदप्रकाश कान्ट्रेक्टर,	**मुख्य चिकित्सा अधिकारी**
ग्राम व पोस्ट पाठकपुर, जनपद सम्भल।	मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद सम्भल।

1. गवाह........ (राहुल)
ग्रा0पो0 पाठकपुर
चन्दौसी जि0 सम्भल

2. गवाह........
 ग्रा0पो0 पाठकपुर
 चन्दौसी जि0 सम्भल